



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-07102026-276898
CG-CG-E-07102026-276898

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5185]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 5185]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ ASVINA 8, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 29 सितंबर, 2026

का.आ. 5394(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड 37क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गयी सारणी के कालम (2) में उल्लेखित परियोजना को अधिसूचित करती है, जो की सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

सारणी

क्रमांक सं.	परियोजना का नाम
(1)	(2)
1	खरसिया रेलवे स्टेशन से उच्छर्पिंडा ग्राम आर के एम पावरजेन प्रा. लिमिटेड तक गति शक्ति मल्टी मॉडल कॉरगो टर्मिनल (जी सी टी) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित रेलवे लाइन निर्माण कार्य।

[फा. सं.एस.ई.सी.आर./बी.एस.पी./इंजी./एल.एल./एल.ए./आर.के.एम.पी./2026-27/01]

मुदित भटनागर, प्रमुख मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF RAILWAYS
(S. E. C. RAILWAY)
NOTIFICATION

Bilaspur, the 29th September, 2026

S.O. 5394(E).— In exercise of powers conferred by clause 37A of section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following projects as mentioned in column (2) of the Table below as Special Railway Projects in the State of Chhattisgarh for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in official gazette.

TABLE

Serial Number	Name of Project
(1)	(2)
1	Construction of proposed Railway line from Kharsia Railway Station to Ucchpinda Village RKM Powergen Pvt Ltd under Gati Shakti Multi Modal Cargo Terminal (GCT) Scheme.

[F. No. SECR/BSP/ENGG/LL/LA/RKMP/2026-27/01]

MUDIT BHATNAGAR, Principal Chief Engineer